राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण राज. जयपुर)

क्रमांक एफ7(218)निजभूस/प्रशि./2013-14/25-96 दिनांकः- 8/1/15

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 6156-6429 दिनांक 3.12.2014 के माध्यम से एस.एल.एन.ए. की आठवीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत प्रतिष्ठित केन्द्रीय/राजकीय/आई.सी. ए.आर. संस्थानो, यू.जी.सी. मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त तकनीकी यूनिवर्सिटी जैसे आई.आई.टी., एन.आई.टी. आदि एवं अन्य मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानो में उनकी अपनी दरो पर प्रशिक्षण आयोजित करवाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

एस.एल.एन.ए. की उक्त बैठक के निर्णय के मूल में भारत सरकार व राजस्थान सरकार के प्रशिक्षण केन्द्रो के माध्यम से विभाग द्वारा यदि कोई प्रशिक्षण कार्य करवाये जाते है तो भारत सरकार द्वारा अगस्त 2010 में तय प्रशिक्षण दरों से अधिक/भिन्न दरें तय की जा चुकी है तो उन दरों पर भुगतान करने की अनुमति देना था।

इस प्रकरण पर निदेशालय से माननीय अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. की स्वीकृति के पश्चात् जारी संशोधित आदेश क्रमांक 803-38 दिनांक 7.01.2014 के क्रम में पूर्व संदर्भित आदेश क्रमांक 6156-6429 दिनांक 3.12.2014 से "UGC Recognised Universities" शब्द हटाया जाता है। साथ ही समस्त परियोजना प्रबंधको को निर्देशित किया जाता है कि अब उक्त आदेश के तहत यदि कोई भी प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है तो उसके विस्तृत प्रस्ताव मय प्रशिक्षण संस्थान का नाम, प्रशिक्षण की दर एवं प्रशिक्षण की विषयवस्तु (content) अपनी अनुशंषा के साथ निदेशालय को भिजवाये जावे एवं निदेशालय की स्वीकृति उपरान्त ही उक्त आदेश के तहत् प्रशिक्षण आयोजित किये जावें।

8.1.15
(एम.एस.काला)
निदेशक

क्रमांक एफ7(218)निजभूस/प्रशि./2013-14/25-96 दिनांकः- 8/1/15

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, सचिवालय जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जलग्रहण विकास एव भू संरक्षाण, जयपुर।
5. अति. निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, जलग्रहण विकास एव भू संरक्षाण, जयपुर।
6. परियोजना प्रबंधक, जिला परिषद-समस्त।
7. समस्त लेखाधिकारी, निदेशालय, जलग्रहण विकास एव भू संरक्षाण, जयपुर।
8. एसीपी., निदेशालय, जलग्रहण विकास एव भू संरक्षाण, जयपुर को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक(आई.डब्ल्यु.एम.पी.)

Letter
3